तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सत्यप्रकाश साखला 3/48 पुराना हाउसिंग बोर्ड पाली (राज.) 306401 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :- 70/2021 जीसीएमएस नं. :- 2021/258 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	

28-1-22

—: निर्णय :—

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 09.08.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./(6)(3)/314/2021/1812 दिनांक 29. 11.2021 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली) से संबंधित वांछित सूचना उनके पत्रांक/रा.लो.सू.अ./314/ 2021/1285 दिनांक 19.08.2021 के अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। तथा अपीलार्थी द्वारा वांछित अन्य सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (समस्त)/तहसीलदार(समस्त) से संबंधित होने के कारण आरटीआई की धारा 6(3) के तहत उनके कार्यालय के पत्रांक/एफ/कलेक्ट्रेट पाली/1711014710/814/2021/1383 दिनांक 01.09.2021 के निर्धारित समयावधि में हस्तांतरण करते हुए वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) पाली द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी (समस्त)/तहसीलदार (समस्त) को निर्धारित समयावधि में स्थानान्तरित कर दिया गया है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी (समस्त)/ तहसीलदार (समस्त) को आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (समस्त)/तहसीलदार (समस्त) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र के संबंध में नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे।

6. निर्णय आज दिनांक 04.02.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

नमित मेहता
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली